

GCF-14, GCF-15, GCF-16, GCF-17 & GCF-17-A, VCF-3, VDCF-3)

DATE: 09.06.2023

MAXIMUM MARKS: 100

TIMING: 3 Hours

BUSINESS LAW & BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

Question No. 1 is Compulsory. Answer any four question from the remaining five questions. Wherever necessary, suitable assumptions should be made and disclosed by way of note forming part of the answer.

Working Notes should form part of the answer.

Answer 1:

(a) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 29 के अनुसार :

मामला	निर्णय	कारण
a.	वैध	यहाँ तेल के विवरण से सम्बन्धित कोई अनिश्चितता नहीं है क्योंकि X नारियल तेल का ही विक्रेता है।
b.	वैध	यहाँ कोई अनिश्चितता नहीं है क्योंकि तृतीय पक्षकार Z द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान किया जायेगा।
c.	व्यर्थ	यहाँ यह निश्चित नहीं है कि कौन सा मूल्य भुगतान किया जायेगा।
d.	व्यर्थ	यहाँ यह निश्चित नहीं है कि कौन से तेल का विक्रय जायेगा।

{1 M for each
Correct 4 points}

Answer :

(b) कम्पनी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सार्वजनिक कम्पनी के स्थिति में एक कम्पनी जायज उद्देश्य के लिए सात एवं अधिक लोगों के द्वारा, निजी कम्पनी की स्थिति में दो एवं अधिक लोगों के द्वारा एक व्यक्ति कम्पनी की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा निगमित की जा सकती है। इस प्रकार कम्पनी गैर कानूनी उद्देश्य एवं गैर कानूनी व्यवसाय करने के लिए निगमित नहीं की जा सकती है।

धारा 9 के अनुसार निगमन की तिथि से सीमा नियम के अभिदानकर्ता एवं अन्य सदस्य जो समय-समय पर कम्पनी के सदस्य हो सकते हैं, सीमानियम में शामिल नाम के अधीन एक निगमित निकाय होंगे। ऐसी पंजीकृत कम्पनी इस अधिनियम के अधीन निगमित कम्पनी के सभी कार्यों को करने के लिए समर्थ होगी। इस अधिनियम के अनुसार कम्पनी वैध उद्देश्य के लिए गठित की जा सकती है इस प्रकार कम्पनी गैर कानूनी व्यवसाय के लिए गठित नहीं की जा सकती है।

वर्तमान प्रकरण में यह रजिस्ट्रार का दोष है कि उसने कम्पनी को निगमन प्रमाण-पत्र जारी किया, परन्तु निगमन प्रमाण-पत्र जारी करना कम्पनी को यह अधिकार नहीं देता कि वह गैर कानूनी व्यवसाय करें।

यदि वर्तमान समस्या में उपरोक्त प्रावधानों को लागू किया जाता है, तो कम्पनी का तर्क गलत है यद्यपि निगमन का प्रमाणपत्र एक निश्चयात्मक प्रमाण होता है कि पंजीकरण कर दिया है जिसका अभिप्राय होता है कि यह निश्चयात्मक प्रमाण है कि कम्पनी अधिनियम की सभी अपेक्षाएँ पूरी कर ली गयी है, जोकि कम्पनी के निगमन के लिए आवश्यक है का अनुपालन हो गया है और अब यह कम्पनी वैधानिक रूप से अस्तित्व में आ गयी है पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि सभी उद्देश्य वैधानिक है। बोमैन बनाम सैकुलन सोसायटी लि. में न्यायालय ने निर्णय दिया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सारे उद्देश्य या

उसमें कुछ उद्देश्य जोकि पार्षद सीमानियम में दिये गये हैं यदि वह अवैधानिक है तो निगमन प्रमाण-पत्र के जारी हो जाने से वैधानिक हो जायेंगे। इसलिए कम्पनी का यह तर्क कि उसके द्वारा किये जा रहे व्यवसाय की प्रकृति की जाँच निगमन प्रमाण-पत्र जारी हो जाने के उपरान्त नहीं हो सकती है यह तर्क मान्य नहीं है। फिर भी रजिस्ट्रार के पास उद्देश्य की अवैधता ही पर्याप्त आधार है कि वह अपनी गलती का सुधार करें एवं स्वयं आवश्यक कदम उठाये ताकि कम्पनी का पंजीकरण रद्द हो जाए।

Answer :

(c) वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के प्रावधान के अनुच्छेद 16(1) के अनुसार विक्रय के अनुबंध में एक गर्भित शर्त होती है कि वस्तु संबंधित उद्देश्य के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। यदि क्रेता ने क्रय का उद्देश्य विक्रेता को बताया हो। क्रेता ने विक्रेता के चयन पर भरोसा किया हो और विक्रेता उसी प्रकार की वस्तुओं का व्यवसाय करता हो।

{2 M}

दिये गये प्रश्न में कपड़े का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, क्रेता का दायित्व बनता था वह प्रयोग का प्रयोजन विक्रेता का बताए जो वह करने में असमर्थ रहा। इसलिए गर्भित शर्त कि वस्तु उपयोग के उद्देश्य पुरा करेगी, लागू नहीं होती।
अतः क्रेता को विक्रेता के विरुद्ध कोई उपचार नहीं मिलेगा।

(2 M)

Answer 2:

(a) सीमित दायित्व साझेदारी तथा सीमित दायित्व कम्पनी के बीच अन्तर

(Distinction between LLP and LLC)

	अन्तर का आधार	सीमित दायित्व साझेदारी	सीमित दायित्व कम्पनी
1.	नियंत्रणकारी अधिनियम	सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008	कम्पनी अधिनियम, 2013
2.	सदस्य/साझेदार	वे व्यक्ति जो सीमित दायित्व साझेदारी के प्रति योगदान करते हैं वे सीमित दायित्व साझेदारी के साझेदार के रूप में जाने जाते हैं।	वे व्यक्ति जो शेयर्स में रकम निवेश करते हैं कम्पनी के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं।
3.	आन्तरिक प्रशासनिक ढाँचा	एक सीमित दायित्व साझेदारी का आन्तरिक नियंत्रण ढाँचा साझेदारों के बीच ठहराव से चलता है।	एक कम्पनी का आन्तरिक प्रशासन ढाँचा विधान द्वारा नियंत्रित किया जाता है (Companies Act, 2013).
4.	नाम	सीमित दायित्व साझेदारी के नाम के अन्त में Limited Liability Partnership शब्दों का प्रत्यय (Suffix) के तौर पर प्रयोग करना चाहिये।	सार्वजनिक कम्पनी के नाम में शब्द Limited तथा निजी कम्पनी के नाम में Private Limited शब्द आने चाहिये (Suffix के रूप में)
5.	सदस्यों/साझेदारों की संख्या	न्यूनतम : 2 सदस्य अधिकतम : अधिनियम में ऐसी कोई सीमा नहीं है। सीमित दायित्व साझेदारी के सदस्य व्यक्ति / या समामेलित संस्था हो सकते हैं नामांकित व्यक्ति के माध्यम से।	निजी कम्पनी : न्यूनतम : 2 सदस्य अधिकतम : 200 सदस्य सार्वजनिक कम्पनी : न्यूनतम : 7 सदस्य अधिकतम : कोई ऐसी सीमा नहीं है। सदस्य हो सकते हैं संगठन, प्रयास, कोई अन्य व्यावसायिक स्वरूप या व्यक्ति।
6.	सदस्य/साझेदारों का दायित्व	साझेदारों का दायित्व उनके सहमत अंशदान तक सीमित होता है सिवाय स्वैच्छिक कपट की दशा में।	सदस्यों का दायित्व सीमित रहता है उनके द्वारा धारित अंशों पर, उच्चतम राशि तक।
7.	प्रबन्ध	कम्पनी का व्यवसाय ठहराव में अधिकृत नामजद साझेदारों के साथ साझेदारों द्वारा प्रबन्धित किया जाता है।	कम्पनी का कामकाज अंशधारकों द्वारा चुने गये संचालक मण्डल द्वारा संभाला जाता है।
8.	संचालकों/नामित सदस्यों की न्यूनतम संख्या	कम से कम 2 नामित साझेदार	निजी कम्पनी : 2 संचालक सार्वजनिक कम्पनी : 3 संचालक

{1 M for each correct 6 points}

Answer:

(b) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 4(1)(c) के अनुसार कम्पनी की शक्तियाँ निम्न सीमा तक सीमित होती हैं—

- (i) वह शक्तियाँ जो कि कम्पनी के सीमानियम के उद्देश्य उपनियम से प्राप्त होती है (जिन्हें स्पष्ट प्रकट शक्ति कहा जाता है) या वह शक्ति होती है जो उसे कम्पनी अधिनियम या अन्य किसी विधान से प्राप्त होती है, और
- (ii) वह शक्तियाँ जो उचित कारणों से अन्य शक्तियों के समरूप है या आवश्यक है ताकि कम्पनी का मुख्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके (जिनको निहित शक्तियाँ कहा जाता है)

{1 M}

इस अधिनियम में आगे दिया गया है कि वह सारे कृत्य जोकि कम्पनी को प्राप्त शक्ति से अधिक है या बाहर है वह सारे कृत्य शक्ति बाह्य होते हैं और शून्य होते हैं तथा ऐसे कृत्यों की पुष्टि नहीं की जा सकती है चाहे कम्पनी के सारे सदस्य उस कृत्य के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दें (ऐशभुरी रेलवे कैरीज कम्पनी बनाम रिची)।

{1 M}

- कम्पनी का उद्देश्य वाक्य इसके अंशधारकों लेनदारों या अन्य को कम्पनी की शक्तियों को जानने तथा यह जानने में सहायक होता है कि कम्पनी क्या-क्या कार्य कर सकती है या किस क्षेत्र में वह व्यवसाय कर सकती है। इसलिए उद्देश्य वाक्य का इसके अंशधारकों, लेनदारों तथा अन्य के लिए मूलभूत महत्व का होता है। {1 M}
- कम्पनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है और यह कम्पनी के सीमानियम के उद्देश्य वाक्य से प्राप्त शक्तियों के अनुसार कार्य करता है।
- प्रत्येक आदमी जो कि किसी कम्पनी के साथ नियम पत्र संबंधी कार्य करता है तो यह माना जाता है कि वह आदमी कम्पनी के उद्देश्य वाक्य से अवगत है, उसने कम्पनी के सीमानियम एवं कम्पनी के अन्तर्नियम का निरीक्षण कर लिया है ताकि सही नियम पत्र संबंधी समझौता हो। अगर यह करने में असमर्थ हो जाता है यह पूरी तरह उसकी गलती होगी। {1 M}
- यहां यह ध्यान देने योग्य है कि कम्पनी का उद्देश्य वाक्य में बदलाव कम्पनी के सीमानियम को परिवर्तित करके किया जा सकता है (धारा 13)।
- M/s. एल.एस.आर. प्राईवेट लि. केवल फल एवं सब्जियों का सीधा व्यापार कर सकती है जोकि उनका उद्देश्य वाक्य है। इस कम्पनी को शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह जे. के साथ साझेदारी करके लोहे और स्टील का व्यवसाय करे। इस कृत्य को किसी भी रूप में कम्पनी को प्राप्त स्पष्ट तथा निहित शक्तियों के अधीन नहीं माना जा सकता है और यह कृत्य मै. एल. एस. आर. प्रा. लि. की प्राप्त शक्तियों से बाह्य है मि. जे. जिसने इस कम्पनी के साथ साझेदारी की थी को उपरोक्त के संदर्भ में यह ज्ञातव्य था कि कम्पनी को ऐसा करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। उपरोक्त के प्रकाश मि. जे. मै. एल.एस.आर. प्राईवेट लि० से यह अनुबंध या देयता लागू नहीं करवा सकता है न ही उसका अनुपालन करवा सकता है। यह निष्कर्ष गंगा माता रिफाइनरी कम्पनी प्राईवेट लि. के मामले में सी.आई.टी. द्वारा किये फैंसले द्वारा समर्थन पाता है। {2 M}
- यहां यह ध्यान देने योग्य है कि कम्पनी का उद्देश्य वाक्य में बदलाव कम्पनी के सीमानियम को परिवर्तित करके किया जा सकता है। (धारा 13)

Answer 3:

- (a) N द्वारा किया गया दावा वैध नहीं होगा क्योंकि किसी वायदे को निभाना या पूरा करना या न करना केवल वायदा क्रेता की इच्छा पर निर्भर करता है ऐसा कोई वायदा अनुबंध नहीं होता है। {1 M}
- भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा, 29 के अनुसार ऐसे अनुबंध जिनका अर्थ या अभिप्राय निश्चित न हो या जिन्हें सुनिश्चित न किया जा सकता हो ऐसे अनुबंध शून्य होते हैं। {1 M}

Answer:

- (b) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार यदि केन्द्र सरकार को लगता है कि धारा 8 वाली कम्पनी अपने उद्देश्यों का उल्लंघन कर रही है, जिनको ध्यान में रखकर लाईसेन्स दिया गया था अथवा कपट में कार्य कर रही है अथवा जनहित के विरुद्ध कार्य कर रही है तो वह लाईसेन्स खण्डित कर सकती है। {1 M}
- यदि लाईसेन्स खण्डित होता है तो केन्द्र सरकार कम्पनी को किसी अन्य कम्पनी के साथ समामेलित कर सकती है। परन्तु उस कम्पनी का उद्देश्य भी कम्पनी के उद्देश्य जैसा ही होना चाहिए अर्थात् समान उद्देश्य वाली कम्पनी के साथ विलयन हो सकता है। {1 M}
- यदि कम्पनी अन्य कम्पनी के साथ विलयन करती है तो एक नई कम्पनी बनाई जायेगी। जिसकी सम्पत्तियां दायित्व हित अधिकार वे होंगे जो केन्द्र सरकार निर्धारित करेगी। {1 M}
- उपरोक्त दशा में केन्द्र सरकार ने एक पृथक कम्पनी बनाई है। परन्तु उस कम्पनी का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार नहीं है और केन्द्र सरकार का फैसला अनुचित है। {2 M}

Answer:

- (c) वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 कि धारा 64 के अनुसार यह नियम लागू होंगे—
- Case (a) C की बोली एक प्रस्ताव है इस वजह से इसे कभी भी स्वीकृति से पहले वापिस लिया जा सकता है। निलामी विक्रय की कोई भी विपरीत शर्त इस पर लागू नहीं होगी।

- Case (b) C की बोली मात्र एक प्रस्ताव है जो स्वीकृतिदाता द्वारा स्वीकृति हेतु मना भी किया जा सकता है।
अतः P उच्चतम बोली को स्वीकार करने से मना कर सकता है।
- Case (c) यह एक व्यर्थनीय अनुबन्ध है क्योंकि विक्रेता बोली हेतु (केवल एक) अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है।
यहाँ एक से अधिक अभिकर्ता नियुक्त करने पर लगता है, वह वस्तुओं की कीमत बढ़ाना चाहता है।
- Case (d) Z को वस्तुओं पर स्वामित्व हथौड़े के गिरते ही हस्तान्तरित हो गया था। सुपुर्दगी योग्य स्थिति में रखी गई वस्तु का स्वामित्व हस्तान्तरण हथोड़ा गिरते ही हो जाता है।
- Case (e) यह विक्रय वैध नहीं है एवं C वस्तु बेचने के लिए योग्य नहीं है। एक निलामीकर्ता वस्तु की न्यूनतम कीमत से कम मूल्य पर बोली स्वीकार नहीं कर सकता है। और यदि वह ऐसा करता है तो वस्तुओं का मालिक इस विक्रय से बाध्य नहीं है।

{1 M for
each
correct 5
points}

Answer 4:

- (a) एक सेवानिवृत्त साझेदार तब तक फर्म के कार्यों के लिए बाध्य होता है जब तक वह उसके लिए या शेष साझेदार सेवानिवृत्ति की सार्वजनिक सूचना न दें। एक सेवानिवृत्त साझेदार उस तृतीय पक्षकार के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो फर्म के साथ व्यवसाय करते समय यह नहीं जानता हो कि उक्त व्यक्ति कभी फर्म का साझेदार था।
जब स्वैच्छिक साझेदारी होती है तो कोई भी साझेदार अपनी सेवानिवृत्ति की लिखित में सूचना देकर अपने दायित्वों से विमुख हो सकता है। इस परिस्थिति में उसे सार्वजनिक सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।
साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 28 गत्यावरोध द्वारा साझेदार को तृतीय पक्षकार के विरुद्ध उत्तरदायी मानेगी यदि वह उक्त साझेदार के विश्वास पर फर्म को उधार दे।
उपरोक्त नियम को लागू करते हुए मि. P को मि. X के लिए उत्तरदायी होना होगा।

{2 M}

{1 M}

{1 M}

Answer:

- (b) भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 20 के अनुसार एक फर्म आपसी अनुबन्ध के द्वारा साझेदार के गर्भित अधिकार को बढ़ा भी सकती है और रोक भी सकती है। परन्तु यह गर्भित अधिकार जो बढ़ाया गया है अथवा सीमित किया गया है यह तृतीय पक्षकार के प्रति तभी बाध्यकारी होगा यदि निम्नलिखित दो शर्त पूरी होगी।
1. तृतीय पक्षकार को इन बाधाओं के बारे में पता है।
 2. तृतीय पक्षकार को यह नहीं पता है कि जिससे वे अनुबन्ध कर रहे हैं वह फर्म का साझेदार है।
- उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार हम कह सकते हैं कि M ने जो फर्नीचर A को बेचा था उसके लिए वह फर्म से अपने पैसों की मांग कर सकता है क्योंकि उसको अनुबन्ध की जानकारी नहीं थी जो अभी-अभी साझेदारों के मध्य हुआ है।
परन्तु द्वितीय दशा में M को उस अनुबन्ध की जानकारी है इसलिए वह फर्म से पैसा नहीं मांग सकता है।

{2 M}

{1.5 M}

{1.5 M}

Answer:

- (c) भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 37 के अनुसार – “यदि एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है या साझेदार नहीं रहता और खातों का निपटारा नहीं किया जाता है तो मृत साझेदार के उत्तराधिकारी और सेवानिवृत्त साझेदार को दो अधिकार मिलेंगे:—
- A. वह लाभ में हिस्सा प्राप्त कर सकता है।
 - B. 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज ले सकता है। (जो भी लाभदायक हो)
- इस मामले में A के उत्तराधिकारी के पास दो विकल्प होंगे
- A. 20 प्रतिशत लाभ में हिस्सा ले लो (साझेदारी संलेख के अनुसार) अथवा
 - B. 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज ले सकता है।

{2 M}

{1 M}

Answer 5:

- (a) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अनुसार मात्र मौन रहना कपट का लक्षण नहीं है। जो कि किसी व्यक्ति की इच्छाओं को प्रभावित करता है। जब तक कि मौन रहना बोलने के समान न हो या पक्षकार का बोलने का कर्तव्य बनता है। {1.5 M}
- इस प्रश्न में –
- (a) धारा 17 के अनुसार यह अनुबन्ध वैध है क्योंकि मौन रहना ऐसी स्थिति में जो किसी व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करे कपट नहीं है। इसलिए विक्रेता दुष्परिणामों को बताने के लिए उत्तरदायी नहीं है। {1.5 M}
- (b) धारा 17 के अनुसार यह अनुबन्ध वैध नहीं होगा क्योंकि P का यह उत्तरदायित्व है कि घोड़े की अस्वस्थता के बारे में Q को बताएं क्योंकि उनके मध्य पिता पुत्री का वैश्वासिक सम्बन्ध है। यहां मौन रहना बोलने के समान है। इसलिए यह कपट होगा। {1.5 M}
- (c) धारा 17 के अनुसार यह अनुबन्ध वैध नहीं होगा यहां मौन रहना बोलने के समान है। इसलिए यह कपट होगा। {1.5 M}

Answer:

- (b) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(87) के अनुसार सहायक कम्पनी से आशय किसी अन्य कम्पनी के सम्बन्ध में ऐसी कम्पनी से है जिसमें सूत्रधारी कम्पनी निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करती है— {2 M}
- निदेशक मण्डल के गठन को नियन्त्रित करना अथवा
 - कम्पनी की कुल अंश पूंजी अथवा कुल मताधिकार का आधे से अधिक स्वयं या अपने किसी सहायक के माध्यम से धारित करना।
- स्पष्टीकरण –
- (a) उपरोक्त 1 तथा 2 में बताई गई कम्पनीयों की सहायक कम्पनीयां भी सूत्रधारी की सहायक मानी जायेगी। {1 M}
- (b) निदेशन मण्डल के गठन को नियंत्रण करने से आशय है किसी कम्पनी के आधे से ज्यादा निदेशको को नियुक्त अथवा हटाने का अधिकार रखना। {1 M}
- उपरोक्त दशा में जीवन तथा सूधीर प्राईवेट लिमिटेड कम्पनियां कुल मताधिकार के आधे से कम धारण करते हैं इसलिए पीयूष प्राईवेट लिमिटेड सरस लिमिटेड कम्पनी की सूत्रधारी कम्पनी नहीं होगी। {1 M}
- हालांकि यदि पीयूष प्राईवेट लिमिटेड 9 में से 8 निदेशको को नियुक्त करने का अधिकार रखती है तो पीयूष प्राईवेट लिमिटेड को सरस प्राईवेट लिमिटेड की सूत्रधारी कम्पनी माना जायेगा। {1 M}

Answer 6:

- (a) माल की बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार, जब सामान खरीदार को “बिक्री या वापसी पर” या अन्य समान शर्तों पर वितरित किया जाता है, तो उसमें संपत्ति खरीदार के पास जाती है—
- (ए) जब खरीदार विक्रेता को अपनी स्वीकृति या स्वीकृति का संकेत देता है या लेनदेन को अपनाने वाला कोई अन्य कार्य करता है,
- (बी) यदि वह विक्रेता को अपनी स्वीकृति या स्वीकृति का संकेत नहीं देता है, लेकिन अस्वीकृति की सूचना दिए बिना माल को अपने पास रखता है तो यदि माल की वापसी के लिए समय निर्धारित किया गया है, तो ऐसे समय की समाप्ति पर और यदि कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, तो उचित समय की समाप्ति, का
- (सी) वह माल को स्वीकार करने के बराबर है जो माल को स्वीकार करता है उदा। वह गिरवी रखता है या माल बेचता है। {3 M}
- उपरोक्त प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, हम प्रश्न में दी गई स्थिति का विश्लेषण इस प्रकार कर सकते हैं:—
- (i) चूंकि सुश्री आर ने बिक्री या वापसी के आधार पर सुश्री के को मोटर साइकिल की डिलीवरी दी है और उसने ऋण प्राप्त करने के लिए श्री ए को वाहन गिरवी रखा है, तीसरी शर्त को आकर्षित किया है कि वह माल के लिए कुछ करती है जो है माल स्वीकार करने के बराबर। इसलिए उसमें संपत्ति सुश्री के के पास जाती है। अब इस स्थिति में सुश्री आर श्री ए से वाहन का दावा नहीं कर सकती हैं, लेकिन वह सुश्री के से वाहन की कीमत का दावा कर सकती हैं। {2 M}

- (ii) यदि यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि जब तक कीमत का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक वाहन सुश्री आर की संपत्ति बनी रहेगी, उस स्थिति में संपत्ति सुश्री के को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि नकद भुगतान नहीं किया जाता। तो सुश्री आर इस स्थिति में श्री ए से वाहन वापस लेने का दावा कर सकती हैं। {1 M}

Answer:

- (b) बिना लाभ वाला संघ (**Association not for Profit**):— धारा 4(1) के अनुसार, कम्पनी के सीमानियम में, निजी कम्पनी की दशा में "प्राइवेट लि." और सार्वजनिक कम्पनी की दशा में "लिमिटेड" शब्द कम्पनी को अपने नाम के आगे लगाना होगा। धारा 8(1) के अनुसार, केन्द्र सरकार के द्वारा इस कम्पनी को लाइसेंस की स्वीकृति हो जाने के बाद में आने नाम के साथ में "लिमिटेड या प्राइवेट लि." शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। केन्द्र सरकार के द्वारा लाइसेंस तभी दिया जा सकता है, यदि:— {2 M}
- (i) कम्पनी बनाने का उद्देश्य वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेल, शिक्षा, अनुसंधान, सामाजिक कल्याण आदि हो।
- (ii) कम्पनी अपने लाभों को सदस्यों में लाभांश के रूप में वितरित नहीं करेगी बल्कि उन्हें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पुर्ननिवेश कर दिया जाता है।

E.g. – FICCI, Assocham, National Sports Club of India, CII आदि

धारा 8 कम्पनी-महत्वपूर्ण बातें (Section 8 Company – Significant Point)

- वाणिज्य, कला, विज्ञान, धर्म, पुण्य, वातावरण संरक्षण, क्रीड़ा, आदि के विकास हेतु निर्मित।
- न्यूनतम अंश पूँजी की अनिवार्यता लागू नहीं।
- अपने लाभों का उस उद्देश्य के विकास के लिए प्रयोग करती है जिसके लिए इसे बनाया गया है।
- सदस्यों को लाभांश घोषित नहीं करती।
- केन्द्रीय सरकार से विशेष लाइसेंस के अंतर्गत ऑपरेट करती है।
- अपने नाम में Ltd. / Pvt. Ltd. शब्दों का प्रयोग जरूरी नहीं तथा कहीं अधिक उपयुक्त नाम का पालन करती है, जैसे-क्लब, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, आदि।
- लाइसेंस विखण्डित कर दिया जाता है यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है।
- विखण्डन पर, केन्द्रीय सरकार उसको निर्देश दे सकती है कि— {4 M}
 - अपने स्तर को परिवर्तित करे तथा अपना नाम बदले।
 - समापन करे।
 - उसी प्रकार के उद्देश्य वाली किसी अन्य कम्पनी के साथ एकीकरण करे।
- 21 दिन के स्थान पर, स्पष्ट 14 दिन का नोटिस देकर अपनी सामान्य सभा बुला सकती है।
- संचालकों, निष्पक्ष संचालकों, आदि की न्यूनतम संख्या की अनिवार्यता लागू नहीं होती।
- नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति तथा अंशधारक सम्बन्ध समिति का गठन आवश्यक नहीं।
- एक साझेदारी फर्मधारा 8 कम्पनी की सदस्य हो सकती है।

PAPER : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

The Question Paper comprises of 5 questions of 10 marks each.
Question No. 7 is compulsory. Out of questions 8 to 11, attempt any three.

SECTION-B : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING (40 MARKS)**Answer 7:****(a)****Answer Sheet**

1.	2.	3.	4.	5	{1 M Each}
(D)	(B)	(C)	(A)	(D)	

Answer:**(b) (i)****Recycling****1. Meaning**

- 1.1 Prcs. of reusing
- 1.2 Imp. to recycle
 - 1.2.1 to save natural resources

2. Waste recycling

- 2.1 Help to save energy
- 2.2 Reduce pllutn.
- 2.3 Imp for envt. & humans

3. Plastic Material

- 3.1 Reduce Pollution
 - 3.1.1 Water Pollution
 - 3.1.2 Air Pollution
- 3.2 Imp to have waste disposal system

{2 M}

Key Note –

- | | | | |
|----|------|---|-------------|
| 1. | Prcs | - | Process |
| 2. | Imp | - | Important |
| 3. | Envt | - | Environment |
| 4. | & | - | And |
| 5. | Sysm | - | System |

{1 M}

(ii) Summary :

Recycling is regarded as the process of reusing the items which are generally regarded as waste but are of great utility. It ensures the conservation of natural resources for future generation along with saving energy. Recycling of plastic material also helps in reducing air and water pollution. In short, we can say that recycling is the best way to have ecofriendly environment.

{2 M}

Answer 8:**(a)**

Physical non-verbal communication: An individual's body language that is, facial expressions, stances, gestures, touches and other physical signals constitute this type of communication. For example, leaning forward may mean friendliness, acceptance and interest, while crossing arms can be interpreted as antagonistic or defensive posture.

{1 M}

Research estimates show that physical, non-verbal communication accounts for 55 percent of all communication. Smiles, frowns, pursing of lips, clenching of wrists etc. transmit emotions which are not expressed through verbal communication.

{1 M}

Answer:

- (b) (i) Rohit wrote a story on the wall. }
 (ii) Ravi Sang a Song. } {1 M Each}
 (iii) What did you eat for breakfast? }

Answer:

- (c) **Language Endangerment: An Alarming Situation** } {1 M}

Language endangerment is an alarming situation worldwide. Language teachers should be well trained linguistically and language documentation should be encouraged by state authorities. Similarly, linguists, language activists, and language policy makers have a long-term task to compile and disseminate the most effective and viable mechanisms for sustaining and revitalizing the endangered languages. } {2 M}

Answer 9:

- (a) Non-verbal communications such as body language and visual cues affect the quality of interaction among individuals or group. An individual's facial expressions, stances, gestures, touches, and other physical signals constitute body language of communication. For example, leaning forward may mean friendliness, acceptance and interest, while crossing arms can be interpreted as antagonistic or defensive posture. } {1 M}

Answer:

- (b) (i) Glittering
 (ii) Inconstancy
 (iii) Varun said that Every Kid should learn coding. } {1 M Each}

Answer:

- (c) XYZ Electronics New Delhi.
 Date: 20th Dec, 2018
 Manager, Customer Care XYZ Electronics
 New Delhi. } {1 M}
 Dear Sir/Ma'am
 Sub: Complaint regarding the printer model CanXR 0987, Invoice No: Prin/CanXR/6 - 12- 2018.
 This is regarding the printer that I bought on Dec 6, 2018. After installation, it worked fine for a few days. But lately every time a print command is given, it paper gets stuck and the scanning/photocopying option is not working at all. Please send your executive to examine the problem and rectify it at the earliest or get it replaced. I had bought the equipment to take print-outs at home for an urgent project work submission. } {2 M}
 I request you to look into the problem urgently and send the expert tomorrow evening by 7PM. You can send the name and mobile number of the executive at my number XXXXXXXXXX. Looking forward to a prompt response. } {1 M}
 (Signed) } {1 M}
 ABC }

Answer 10:

- (a) **Listening for Understanding** : We are bombarded by noise and sound in all our waking hours. We 'hear' conversations, news, gossips and many other forms of speech all the time. However, most of it is not listened to carefully and therefore, not understood, partially understood or misunderstood. A good listener does not only listen } {1 M}

to the spoken words, but observes carefully the nonverbal cues to understand the complete message. He/she absorbs the given information, processes it, understands its context and meaning and to form an accurate, reasoned, intelligent response.

The listener has to be objective, practical and in control of his emotion. Often the understanding of a listener is colored by his own emotions, judgments, opinions, and reactions to what is being said. While listening for understanding, we focus on the individual and his agenda. A perceptive listener is able to satisfy a customer and suggest solutions as per the needs of the client.

{1 M}

Answer:

- (b) (i) The entire stretch of highway was cleaned by the crew.
 (ii) The homeowners remodeled the house to help it sell.
 (iii) Socrates said that virtue is its own reward.

{1 M Each}

Answer:

(c) **The Pros and cons of online education in India**

- **By XYZ**

Pros and Cons of Online Classes – The widespread outbreak of coronavirus has led to moving towards online classes by schools, colleges, coaching's, etc. Although online classes were already in place in many places, COVID-19 has paved a new way of teaching all over the country through online classes. Almost all schools, colleges, universities, etc. have now started online classes for the students so as to continue the studies in this time of pandemic. These online classes are being helpful for the teachers and students in completing the syllabus of the class which has not been possible in any other way. At present, both teachers and students have adopted this new model of education and are trying to get used to it with each passing day. But along with various advantages of online classes, there are some disadvantages too. Students are facing some difficulties in online classes like difficulty in clearing doubts properly, network issues and many more. Along with this, many still believe that online classes can never be an alternative to brick and mortar classes. Here, we have listed some of the pros and cons of online classes. Read the full article to know about all the pros and cons of online classes.

Pros of Online Classes

Following are the pros of online classes-

Study Anywhere – Online classes are available to a student sitting anywhere in the world provided he/she has a proper internet connection. So, if students are not in the city of their school or college then also they can avail the online classes easily. All they need to have is a working internet connection.

Elimination of travel time and Cost –

Online classes have eliminated the time and cost required to reach the school or college. In this way students are saving a lot of their precious time which they can utilize in any other productive work. Also, the cost incurred in daily travel to school and back to home has been totally eliminated with online classes.

Prevention of loss of studies – In this time of pandemic, online classes have come up as a boon for students. This is because if schools and colleges did not use online classes for studies, students would have wasted a lot of time in the session and it would have been really difficult to cover the entire course later. Through online classes, the session is going on at a similar pace as it would have been in offline classes.

Individualized study – Online classes provide an individualized study environment to a student where he/she can study alone. Many times, students become shy in asking queries in front of the entire class but in online classes no one is around, so students can easily ask questions.

{Any 5 points each 1 Mark}

Moreover, this individualized study also prevents students from any kind of disturbance.

Monitoring by Parents – With the help of online classes, parents are also able to check and know what their children are studying, how teachers are teaching in the class. Also, they can also motivate their children to take up doubts. Basically, online classes also involve parents in the studies of students which was not the same in case of offline classes.

Introduction to new technologies – Online classes have introduced students to new technologies. They now know how to use a particular software through which the school is teaching or have knowledge about various other platforms which are being used for online classes. So, these classes are also making the students technologically advanced.

Cons of Online Classes

As online classes have emerged as the only solution for education during lockdown, there are many cons related to it. However these can be minimized with a little care.

Network Issues - One of the biggest problems of online classes is network issues. It has been seen students struggle a lot to connect to the session due to internet issues. Many times, teachers are not audible, not visible and much more. In such cases of network disruption, all the students start to talk at the same time which again creates another mess. So, network issues must be resolved for proper conduction of online classes.

Lacks One to One teaching - Online classes lack one to one teaching means these lack proper communication between students and teachers. Although students have the option to ask their queries in the online classes also but students find it difficult to get their doubts solved in a proper way. So many students are asking or putting their queries in the chat section that some are missed.

Continuous Use of Mobile/Laptop - One major concern of online classes is that students have to be on electronic devices like mobile phones, laptops or tablets continuously for 5-6 hours. This is not beneficial for students and will also cause health issues like eye strain to the students.

Requires Self-Discipline - In online classes, teachers are not able to monitor the students in the same way as offline classes, so these require a student to be self-disciplined. If a student is not disciplined, he/she may not pay attention to what the teacher is teaching in the class.

Proper utilization of online classes can lead to a new model of education involving online classes along with offline classes. But, proper care should be taken to minimize the cons of online classes.

Answer 11:

(a) Writing Formal Letters and Official Communication

Kalu Sarai,
New Delhi
August 09, 2019
MR. Ramesh
Director, Sales and Marketing
XYZ Pvt. Limited
Dear Sir/Ma'am,

} {2 M}

Sub: Order Confirmation (No: XYZ/0012/Jun 2019)

I would like to take the opportunity to thank you for giving us a business opportunity. It is an honour for us to be serving your esteemed organization that enjoys a formidable reputation.

} {2 M}

I would like to inform you that the 1800 units of machinery ordered vide Order no. XYZ/0012/Jun 2019, will be delivered as per the mutually decided date. In addition, our experts would come to install the machinery and give a detailed demo of its working. We would also provide a free for the next two years, taking care of any wear and tear or products damage. The products has two year warranty period. For any other query regarding the machinery ordered and its functioning, please feel free to contact us. We would be happy to serve you at the earliest.

Thanks and Regards,
Ashita Bhargava
Sr. Manager
Operations and Admin Department

{1 M}

Answer:

(b) Verbal: Verbal communication involves the use of words and language in delivering the intended message. Though 'verbal' primarily refers to communication through the spoken medium, while categorizing 'types' of verbal communication the written and oral form of communication are included. {1 M}

- Written communication includes letters and documents, e-mails, reports, handbooks, brochures, various chat platforms, SMS and any form of written interaction between people. The written form of communication is essential and indispensable for formal business interactions (contracts, memos, press releases, formal business proposals etc.) and legal instructions and documentation. The effectiveness of written communication depends on the writing style, grammar, vocabulary, and clarity. {1 M}

- Oral Communication refers to communication through the spoken word, either face-to-face, telephonically, via voice chat, video conferencing or any other medium. Formal medium like lectures, conferences, seminars, meetings and informal conversations, chit-chat, gossip etc. are part of oral communications. Effective of oral communication depends on clear speech and the tone used by the speaker. Speaking in too high/ low volume or too fast/slow can also impair communication between people. Even non-verbal communications such as body language and visual cues effect the quality of interaction among individuals or group. {1 M}

Answer:

- (c)** 1. She said that she would be taking a test.
2. The clerk asked his manager if he should email that letter again. {1 M each}

__**__